राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक – 5

डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–17

फैक्स : 0141–5107388, 2701822 rajssa_plan@yahoo.co.in फोन नं. : 0141–2709635

अत्यावश्यक / स्मरणपत्र

क्रमांक : रास्कूशिप. / जय / आरएए / 2019–20 / 5598 जयपुर, दिनांक : 9-9-19

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पदेन
जिला परियोजना समन्वयक
समस्त जिले।

विषय : सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत संस्था प्रधानों को भेजी गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं क्रय की गई पुस्तकों के सम्बन्ध में।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 5371 दिनांक 3 सितम्बर, 2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर द्वारा की जा रही लेखा परीक्षा में सत्र 2017–18 राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अन्तर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक जिले के 149 उत्कृष्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत 5000 रुपये प्रति विद्यालय के अनुसार 7,45,000 / – प्रति जिले की दर से राज्य में कुल 2.45 करोड़ की राशि जारी की गई थी। जारी की गई राशि से विज्ञान किट, गणित किट एवं विज्ञान–गणित की संदर्भ पुस्तकें क्रय करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। लेखा परीक्षा दल द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सूचनाऐ चाही गई है :

1. हस्तानान्तरित की गई राशि में से कितनी राशि का उपयोग अभी तक कर लिया गया है ?
2. उपयोग की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र की वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि परिषद् को अभी तक उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रेषित नहीं किया गया है तो उपयोगिता प्रमाण–पत्र जवाब के साथ संलग्न करावें।
3. पुस्तको को क्रय करने के निर्देशों में क्या सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम का उल्लंघन किया गया है ? अपनी टिप्पणी से अवगत करावें।
4. उक्त निर्देशों के अनुसार पुस्तको का क्रय किस–किस से किया गया ? विवरण उपलब्ध करावें।

उक्त बिन्दुओं पर संदर्भित पत्र द्वारा बिन्दुवार तथ्यात्मक विवरण मय संलग्नक मेल आईडी (skpareek.doit@rajasthan.gov.in) पर भिजवाये जाने हेतु अवगत कराया गया था **लेकिन आप द्वारा अपूर्ण सूचनाएँ भिजवायी जा रही है जो कि स्वीकार्य नहीं है। अतः आप समस्त 149 विद्यालयों की इकजाई सूचना बिन्दुवार (मय क्रय की गई पुस्तकों के बिल सहित) दिनांक 11 सितम्बर, 2019 को प्रातः 10:00 बजे तक मेल द्वारा या पत्र वाहक द्वारा भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। वांछित अभिलेख / सूचनायें उपलब्ध नहीं कराये जाने पर लेखा परीक्षा द्वारा ऑडिट पैरा बनाये जाने के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

www.rajteachers.com

(राकेश गुप्ता)
उपायुक्त (प्लॉन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है : –

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर (राज.)।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिलो को भेजकर लेख है कि पत्र की सूचना तत्काल प्रभाव से आज ही मेल आई. डी. पर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त